Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to restore the old pension scheme for the government employee.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक महत्त्व के विषय पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद । केन्द्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके 1 जनवरी, 2004 एवं उत्तर प्रदेश सरकार में 1 अप्रैल, 2005 व उसके पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारियों/शिक्षकों और अधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लाई गई, जिसे राष्ट्रीय पेंशन या नवीन पेंशन प्रणाली भी कहते हैं, जो लागू की गई । पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह उसके मूल वेतन के 10 प्रतिशत अंश के बराबर कटौती की व्यवस्था थी, जो सामान्य भविष्य निधि कहलाती थी । कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ ही जीपीएफ के रूप में कटौती की गई समस्त धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज सहित कर्मचारियों को मिल जाती थी तथा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर प्रतिमाह निश्चित रूप से पेंशन मिलती थी ।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या नवीन पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2005 व उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के कुल वेतन के 10 प्रतिशत अंश के बराबर प्रतिमाह कटौती की जा रही है । इसके साथ ही, कर्मचारियों के कुल वेतन के 14 प्रतिशत अंश के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा भी जमा की जा रही है । इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन की कटौती एवं सरकार द्वारा जमा धनराशि तीन फंड मैनेजर्स क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाता है । इन तीनों फंड मैनेजर्स द्वारा संग्रह की गई धनराशि को बाजार में निवेश किया जा रहा है । जिस प्रकार निवेशित धनराशि से प्राप्त लाभ अथवा हानि के आधार पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय जो धनराशि होगी, उसका 60 प्रतिशत अंश कर्मचारियों को दिया जाएगा, जबकि 40 प्रतिशत अंश से कर्मचारियों के पेंशन

की व्यवस्था की जाएगी । नवीन पेंशन प्रणाली में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि यदि बाजार में लगाया गया धन डूब जाता है अथवा हानि हो जाती है, तो कर्मचारियों को पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि पुरानी पेंशन प्रणाली को पुन: बहाल करने की कृपा करें ।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री गिरीश चन्द्र द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।